

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मोरा पत्नी गुलाम जाति मुसलमान, निवासी मेहरों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा(02)		सरादीन पुत्र धोधा जाति मुसलमान, निवासी मेहरों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा(02)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद(धारा 88,188,209)

मुकदमा नम्बर 40/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.2023	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोजेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 02.07.23 को पेश हो।	
07.07.23	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 02.8.23 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (SDO) शिव
02.8.23	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 07.8.23 को पेश हो।	
7.8.23	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी की तामीली हुक्म दिनांक 16.10.23 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (SDO) शिव



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

40
2023
02/05/23
नं. अहम
हुक्म
में जारी

सेवा में

22.5.23

पत्रावली पेश। वकील वादी अनुपस्थित।
पत्रावली के लोकी हेतु वकील व
पक्ष माता-को न्यायालय सभ्य में
पृथक-पृथक आवेदन लगाई जाते
के कारण कोई उपस्थित नहीं। यदि
पत्रावली के पालन नहीं की जा रही है
तथा वकील के अनुपस्थित रहने पर
उक्त को अदम पालन व अदम
हाजिरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से क्रम होकर
हाजिरी रफ्तार हो।

सहायक जज (SDO) पश्चिम